



आर.ई.ओ.-70  
(संशोधित पत्र)

जोधपुर  
विद्युत वितरण  
निगम लि०

(संयुक्त राज्य भारत का एक अंग)

एन. पावर हाऊस, इन्टरस्टीयल ऐरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 265122/ (फै) फेक्स नं. 2741870

क्रमांक:- प्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-पीपीएम/पत्रांसामान्य /प्रे०सं० 1613 जोधपुर, दिनांक 7/12/2004




विषय :- कृषि पंप रोटों के बढ़े हुये विद्युत भार को नियमित करने की स्वेच्छिक घोषणा 100 दिन तक बढ़ाने के सम्बन्ध में।

\*\*\*\*\*

निगम द्वारा जारी किये गये आदेश संख्या क्रमांक प्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-पीपीएम/पत्रांसामान्य/प्रे०सं०1468 जोधपुर दिनांक15.01.2004 (आर.ई.ओ.68) में स्वेच्छिक भार वृद्धि घोषणा की योजना 31 मार्च 2004 के स्थान पर 23 अप्रैल 2004 तक प्रभावी रहेगी। अन्य प्रावधान यथावत रहेगे तथा निगम के आदेश संख्या क्रमांक प्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-पीपीएम/पत्रांसामान्य/प्रे०सं०1548 जोधपुर, दिनांक 29.1.2004 (आर.ई.ओ.69) के तहत भी कार्यवाही इस दौरान लागू रहेगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभावी हो लागू होगे।

  
(आर.एस. चौधरी)  
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।